तथा उद्योग के बीच परस्पर क्रिया प्रशिक्षण सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के बीच विद्यमान प्रौद्योगिकी अन्तरालों के विस्तार के लिए उद्योग सरकार सहयोग, अनुसंधान व विकास प्रौद्योगिकियों व प्रौद्योगिकी आयात की प्रसिद्धि आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त सरकार उद्योग में इन हाउस अनुसंधान व विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन, देश के प्रमुख अनुसंधान व विकास इकाइयों के प्रधानों के साथ चर्चाएं व बुनियादी उद्योगों पर उनकी प्रौद्योगिक स्थिति पर चर्चा सहित कार्यशालाओं जैसे विभिन्न माध्यमों से उद्योगों के साथ परस्पर क्रिया करती थी । नए प्रस्तावों तथा उद्योगों में अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का निर्धारण करते समय इन सभी माध्यमों से प्राप्त निवेशों को ध्यान में रखा जाता है ।

समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्तों को शासित करने वाले नियम

†3222-ग. श्री राजूभाई ए० परमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ते को शासित करने वाले नियम क्या हैं ;

(ख) क्या रात्रि ड्यूटी भत्ता समयोपरि भत्ता योजना का ही एक हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) समयोपरि भत्ता कार्य के सामान्य घंटों के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए, जबकि सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण प्रतिपूरक छुट्टी न दी जा सकती हो, नकद प्रतिपूर्ति के रूप में होता है ।

रात्रि ड्यूटी अथवा उसके बदले में नकद प्रतिपूर्ति (रात्रि ड्यूटी भत्ता) के लिए तभी मंजूरी दी जाती है जब रात्रि की सामान्य ड्यूटी से संबंधित कार्य को बिना किसी निष्क्रियता अथवा आराम के पर्याप्त अन्तराल के बिना ही लगातार काम करने की आवश्यकता हो । रात्रि ड्यूटी भत्ता उस स्थिति में अनुज्ञेय नहीं होता जहां रात्रि ड्यूटी होने को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक कार्य के घंटे कम रखे गए हैं ।

इस प्रकार, समयोपरि भत्ता तथा रात्रि ड्यूटी भत्ता अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं । समयोपरि भत्ते तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते की मंजूरी से संबंधित उपबन्ध कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं ।

रेल मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिन्दी

††3222-घ. श्री शरद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो क्रमशः रेलवे अप्रेन्टिसिस शाल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन फोरेस्ट सर्विस परीक्षा आयोजित करते हैं हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऊपर लिखित परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार न करने और न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या – 3623-ग, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

††पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या 3579, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।